परीक्षा समिति की आपात् बैठक दिनांकः 15.02.2019 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 15.02.2019, दिन शुक्रवार को मध्याह्न 12:00 बजे विश्वविद्यालय के सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में परीक्षा समिति की आपात् बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित रहे :–

1.	प्रो0 नीलिमा गुप्ता, कुलपति, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	अध्यक्ष
2.	डॉ0 राकेश कुमार पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, विधि विभाग, वी0एस0एस0डी0 कालेज, कानपुर।	सदस्य
3.	प्रो0 नन्द लाल, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
4.	डॉ0 मुनेश कुमार, सह–आचार्य, शिक्षा विभाग,सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
5.	डॉ0 अंशु यादव, उपाचार्या, आई.बी.एम. विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
6.	डॉ0 देवेन्द्र अवस्थी, वी.एस.एस.डी. कालेज, कानपुर।	सदस्य
7.	डॉ0 बृजेश यादव, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
8.	डॉ0 विवेक द्विवेदी, महामंत्री, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
9.	प्रो0 संजय कुमार स्वर्णकार, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
11.	प्रो0 मुकेश रंगा, आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
12.	डॉ0 विनोद कुमार सिंह, कुलसचिव, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
13.	डॉ0 सरोज द्विवेदी, सिस्टम मैनेजर, संगणक केन्द्र, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
14.	श्री एस.एल. पाल, उपकुलसचिव (परीक्षा), सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
15.	डॉ0 अनिल कुमार यादव, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सचिव

माननीया कुलपति जी द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए :–

मद सं.–1. सत्र 2018–19 की मुख्य परीक्षा के परीक्षा केन्द्रों के अनुमोदन पर विचार :–

निर्णय :– सत्र 2018–19 की मुख्य परीक्षा हेतु केन्द्र निर्धारण, शासनादेश सं0–9/2018/1036/सत्तर–1–2018–16(9)/2018, दिनांक 15.11.2018 में वर्णित बिन्दुओं के आलोक में निर्धारित किए गए हैं। केन्द्र निर्धारण से सम्बन्धित कतिपय मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :–

1. ऐसे महाविद्यालय, जो सामूहिक नकल अथवा अभद्रता में दोषसिद्ध नहीं हैं एवं उपरोक्त शासनादेश के आलोक में केन्द्र निर्धारण हेतु अन्य मानक पूर्ण कर रहे हैं और उनके यहाँ छात्राओं की संख्या न्यूनतम 125 या उससे ऊपर है, उनको परीक्षा केन्द्र बनाया गया है।
2. मुख्य परीक्षा वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 में सामूहिक नकल/अभद्रता में दोषसिद्ध महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है।
3. सी0सी0टी0वी0 कैमरा तथा आडियो माइक के सम्बन्ध में महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गई आख्या के आधार पर केन्द्र निर्धारण किया गया है। यदि कहीं पर उक्त वर्णित तथ्यों में विसंगति पायी जाती है तो सेण्टर निरस्त करने की समस्त शक्तियां माननीया कुलपति महोदया में निहित हैं और उनके आदेशानुसार तद्नुक्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
4. एक ही प्रबन्धक के अनेकानेक महाविद्यालयों को पारस्परिक आधार पर अदला बदली (Inter Change) **न करते हुए परीक्षा केन्द्र** निर्धारित किए गए है।

उपरोक्तानुसार मुख्य परीक्षा सत्र 2018–19 हेतु निर्मित परीक्षा केन्द्र सूची अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उपरोक्तानुक्रम में समिति द्वारा प्रकरण पर गहन विचार–विमर्श किया गया। सम्यक विचारोपरान्त उक्त बिन्दुओं पर अनुमोदन प्रदान किया। साथ ही जिन महाविद्यालयों में छात्राओं की संख्या 125 न होने के कारण परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है तथा कुल छात्र/छात्राओं की संख्या 300 अथवा उससे अधिक एवं स्वच्छ छवि के हो, ऐसे महाविद्यालयों को आपत्ति/अनुरोध किए जाने पर नियमानुसार परीक्षा केन्द्र बनाये जाने पर विचार किया जा सकता है।

.....2

मद सं.–2. **अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष महोदया की अनुमति से :–**

(i) **सत्र 2018–19 की मूल्यांकन व्यवस्था एवं प्रधान परीक्षक विचार :–**

निर्णयः– परीक्षा समिति के सदस्य डॉ0 विवेक द्विवेदी ने समिति को अवगत कराया कि वर्तमान में मूल्यांकन में प्रधान परीक्षक की व्यवस्था है, जो परीक्षकों द्वारा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण करते हैं, जिसका कोई सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकलता है। इस प्रकार शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार न होकर वित्तीय व्यय भार बढ़ रहा है। अतः अनुरोध किया कि भविष्य में यह व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। साथ ही मूल्यांकन कार्य करने वाले परीक्षकों के लिए कोई भी दिशा–निर्देश/गाइड लाइन निर्धारित नहीं है। इस सम्बन्ध में भी कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

परीक्षा समिति द्वारा प्रकरण पर गहन विचार–विमर्श किया गया। सम्यक विचारोपरान्त मूल्यांकन कार्य में प्रधान परीक्षक की व्यवस्था सत्र 2018–19 के मूल्यांकन से समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही सत्र 2018–19 से मूल्यांकन कार्य में योजित परीक्षकों हेतु गाइड लाइन बनाने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति गठित किए जाने का निर्णय लिया गया :–

1. प्रो0 नन्द लाल, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानुपर
2. डॉ0 विवेक द्विवेदी, प्राचार्य, बी0एन0डी0 कालेज, कानपुर
3. डॉ0 देवेन्द्र अवस्थी, शिक्षक, वी0एस0एस0डी0 कालेज, कानपुर
4. श्री एस.एल. पाल उपकुलसचिव (परीक्षा), सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानुपर

(ii) **परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 06.06.2018 में कु0 रिचा देवी के प्रकरण पर उत्तर पुस्तिका मूल्यांकित करने वाले परीक्षकों को सत्र 2017–18 एवं 2018–19 के परीक्षा कार्य से विरत रखने का निर्णय लिया गया था। तत्क्रम में परीक्षक संगीता अवस्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 07.07.2018 पर विचार :–**

निर्णयः– परीक्षा समिति के सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि कु0 रिचा देवी, छात्रा एम0एससी0 उत्तरार्द्ध, वर्ष–2017, विषय–जन्तु विज्ञान, अनुक्रमांक–2043616, डी0ए0वी0 कालेज, कानपुर द्वारा मूल्यांकन कार्य में अनियमितता एवं अंको की बढ़ोत्तरी के प्रकरण पर उत्तर पुस्तिका मूल्यांकित करने वाले परीक्षकों को परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 06.06.2018 के मद सं0–04 में सत्र 2017–18 एवं 2018–19 हेतु परीक्षा कार्य से विरत रखने का निर्णय लिया गया था।

तत्क्रम में परीक्षक संगीता अवस्थी द्वारा दिनांक 07.07.2018 को अपना क्षमा–याचना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर विचारार्थ/निर्णयार्थ माननीय कुलपति महोदया द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा जाँच कर आख्या उपलब्ध करायी जा चुकी है।

परीक्षा समिति द्वारा प्रकरण पर गहन विचार–विमर्श किया गया। सम्यक विचारोपरान्त डॉ0 संगीता अवस्थी एवं अन्य 04 परीक्षकों को परीक्षकत्व कार्य से विरत रखते हुए परीक्षा सम्बन्धी अन्य कार्यो यथा–कक्ष निरीक्षक, सहायक केन्द्राध्यक्ष, अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष, को–आर्डिनेटर एवं सचलदल आदि कार्यो में सत्र 2018–19 से योजित करने का निर्णय लिया गया।

(iii) **जगन्नाथ कन्या महाविद्यालय, गजनेर, कानपुर देहात के सामूहिक नकल के प्रकरण पर विचार :–**

निर्णयः– परीक्षा समिति के सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि उक्त परीक्षा केन्द्र/महाविद्यालय सत्र 2018–19 की परीक्षाओं में सामूहिक नकल में दोषसिद्ध पाया गया था। जिस पर विचारार्थ/निर्णयार्थ माननीय कुलपति महोदया द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा अपनी अनुशंसा में उक्त महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र को सामूहिक नकल में दोषसिद्ध ठहराया गया है।

परीक्षा समिति द्वारा प्रकरण सम्यक विचारोपरान्त जगन्नाथ कन्या महाविद्यालय, गजनेर, कानपुर देहात को सामूहिक नकल दोषसिद्ध यथावत रखा जाय। साथ ही छात्रहित में उक्त महाविद्यालय को चेतावनी देते हुए महाविद्यालय की छात्राओं को सत्र 2018–19 की मुख्य परीक्षा के साथ पुनर्परीक्षा कराने का एक अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

.....3

(iv) **चुनौती मूल्यांकन के प्रकरण पर विचार :–**

निर्णयः– परीक्षा समिति के सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि चुनौती मूल्यांकन में पूर्णांक के 15% से अधिक अंक बढ़ने पर ही तद्नुसार बढ़े हुए अंकों के आधार पर परीक्षाफल संशोधित किया जाता है। जिन छात्र/छात्राओं के इससे कम अंकों की वृद्धि होती है, वे भी अनेक अनुरोध पत्र प्राप्त कराते रहे हैं और नियम में शिथिलता की मांग करते रहे हैं।

परीक्षा समिति द्वारा प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि छात्रहित में चुनौती मूल्यांकन नियमावली में आंशिक संशोधन करते हुए चुनौती मूल्यांकन के पश्चात् प्राप्तांकों के 15% अथवा न्यूनतम 5 अंक (दोनों में से जो भी अधिक हो) का अन्तर होने पर ही तद्नुसार परीक्षाफल परिवर्तित कर दिया जाय। यह व्यवस्था सम–सेमेस्टर 2019 तथा मुख्य परीक्षा सत्र 2018–19 से प्रभावी माना जाय।

अन्त में समस्त सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

15.02.19

डॉ0(अनिल कुमार यादव)
परीक्षा
नियंत्रक/पदेन सचिव

15/2/19

प्रो०(नीलिमा गुप्ता)
कुलपति